सं0-1/दि0स0नि0(बजट)-02/2019 स.क.-

बिहार सरकार

आवंटनादेश

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय

(समाज कल्याण विभाग)

प्रेषक,

राज कुमार, भा0प्र0से0
निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सहायक निदेशक/ प्रभारी सहायक निदेशक,
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग,
अररिया, अरवल, औरंगाबाद, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी),
गोपालगंज, मधेपुरा, नालन्दा, शिवहर एवं सुपौल ।

पटना, दिनांक :-

विषयः- मॉग सं0-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, उप शीर्ष-0323-दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सीपडा), विपत्र कोड-51-2235021010323, विषय शीर्ष-0323.27.01, लघु कार्य, के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न जिलों में आयोजित दिव्यांगजनों के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) पर हुए व्यय / प्रस्तावित व्यय हेतु रू0 19,07,167/-(उन्नीस लाख सात हजार एक सौ सड़सठ रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-03/यो0-27/2017(खण्ड)-61 दिनांक-19.12.2019 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में द्वितीय अनुपूरक से आंतरिक सामान्जन के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सीपडा) अंतर्गत राज्यांश मद में विपत्र कोड 51-2235021010323 में कुल रू0 1,00,00,000/- (एक करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है । उक्त राज्यादेश में प्राप्त स्वीकृति के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना द्वारा दिव्यांगजनों के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) पर हुए व्यय / प्रस्तावित व्यय पर कुल रू0 19,07,167/-(उन्नीस लाख सात हजार एक सौ सड़सठ रूपये) मात्र का आवंटन जिलावार तालिका (संलग्न) के अनुसार दिया जाता है । राशि का आवंटन ऑनलाईन CFMS के माध्यम से की जायेगी।

2. यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटनादेश सं०-11 दिनांक-61.01.2020 द्वारा 19 जिलों यथा- बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, गया, जमुई, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, समस्तीपुर, शेखपुरा, सीतामढ़ी एवं वैशाली को आवंटित रू० 66,07,702/- (छियासठ लाख सात हजार सात सौ दो रूपये) मात्र के अतिरिक्त है ।

3. वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न जिलों में राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना द्वारा दिव्यांगजनों के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन पर हुए व्यय की गई राशि, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सीपडा) के विपत्र कोड 51-2235021010323 के अतंर्गत विकलनीय होगा ।

4. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-3758/वि0 दिनांक-31.05.2017, पत्रांक-378/वि0 दिनांक-16.01.2018, पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.2018, पत्रांक-662/वि0 दिनांक-02.08.2018, पत्रांक-257/वि0 दिनांक-26.02.2019 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा ।

04/03/20

Scanned with CamScanner

5. आवंटित राशि से संबंधित सभी विपत्रों पर प्रासंगिक आवंटन आदेश सं0 एवं तिथि तथा विपत्र कोड-**51-2235021010323** का उल्लेख अवश्य किया जाय तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र भी विपत्र पर अंकित किया जाय कि विपत्र में प्रस्तावित राशि आवंटित राशि के अन्तर्गत है ।

6. इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे ।

7. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीधे महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए इसकी सूचना दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे ।

8. आवंटित राशि से नियमानुसार निकासी की जाय तथा किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय, यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो, तो पूर्ण औचित्य के साथ अपना माँग पत्र प्रस्तुत करें ।

9. आवंटित राशि की निकासी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को आवंटित नये DDO Code से ही किया जायेगा ।

10. किसी भी प्रकार की वितीय अनियमितता के लिए सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग पूर्णरूप से जिम्मेवार होंगे ।

उपर्युक्त अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित की जाय ।

अनु0- आवंटन तालिका ।

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,

बिहार, पटना ।

ज्ञापांक:-1/दि0स0नि0(बजट)-02/2019 स.क.- पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-आवंटन तालिका सहित महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक:-1/दि0स0नि0(बजट)-02/2019 स.क.- पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-आवंटन तालिका सहित संबंधित जिला पदाधिकारी एवं संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक:-1/दि0स0नि0(बजट)-02/2019 स.क.- 14 पटना, दिनांक:- 02/03/2020

प्रतिलिपि:-आवंटन तालिका सहित अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/ राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (मु0) एवं आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना /सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा लेखा शाखा (दो प्रतियों में), दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक

Comp-IE/Divayangjan/Allotment-2019-20/42-43

Scanned with CamScanner

राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना का चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) कार्यक्रम पर हुए व्यय / प्रस्तावित व्यय का जिलावार आवंटन ।
(दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सीपडा) के अंतर्गत,
विपत्र कोड 51-2235021010323)

क्रमांक	जिला का नाम	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	Araria	3,00,000	----
2	Arwal	1,38,235	----
3	Aurangabad	2,50,000	----
4	East Champaran (Motihari)	1,70,179	----
5	Gopalganj	1,50,000	----
6	Madhepura	1,88,753	निदेशालय के आवंटनादेश सं०-11 दिनांक-16.01.2020 के द्वारा पाँच लाख रूपये आवंटित राशि के अतिरिक्त यह राशि है ।
7	Nalanda	5,00,000	----
8	Sheohar	1,65,000	----
9	Supaul	45,000	----
	Total	**19,07,167**	----

कुल राशि रू० 19,07,167/- (उन्नीस लाख सात हजार एक सौ सड़सठ रूपये) मात्र

(राज कुमार)
निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।

Divayang an/SIPDA/Allotment 2019-20 (Chalant Nyalya)/Chalant Nyalya/P-3

Scanned with CamScanner